संख्या- 24/2019/ 2483/अड़तीस-7-19-46नरेगा/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 11 अक्टूबर, 2019

विषयः-ग्रामीण क्षेत्र में पाइप पेयजल आपूर्ति से संबंधित ग्राम पंचायतों में वर्षा जल के माध्यम से भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति मुख्यतः भूगर्भ जल पर निर्भर है। परिणामस्वरूप इस प्राकृतिक स्रोत का अनियंत्रित दोहन होने से भूजल स्तर में निरन्तर गिरावट हो रही है। इससे भूगर्भ जल स्ट्रेटा(AQUIFIERS) अत्यधिक दबाव में आ गया है। इस जल स्रोत को बचाने के दृष्टिगत तथा पाइप पेयजल परियोजनाओं में निरन्तर जल आपूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि वर्षा जल संचयन एवं रिचार्जिंग तकनीक से भूगर्भ जल स्तर को ठीक रखा जाये। मनरेगा योजनान्तर्गत पारम्परिक जल स्रोतों के संरक्षण हेतु चेकडैम, रिचार्ज पिट, डगवेल कुँआ, तालाबों के निर्माण/जीर्णोद्धार के कार्य, ट्रेन्च, रिचार्ज पिट बोर पिट के कार्य अनुमन्यता की श्रेणी में सम्मिलित है।

2- भूगर्भ जल विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों के 822 विकास खण्डों में से 113 विकास खण्ड अतिदोहित, 59 विकास खण्ड क्रिटिकल एवं 45 विकास खण्ड सेमीक्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित है। वर्तमान में प्रदेश में 29805 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से तथा 7964 बस्तियों को टीटीएसपी शोधन संयंत्र, सोलर पम्प के माध्यम से पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण परिवारों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पेयजल आपूर्ति के उक्त संसाधनों में जल का स्रोत भूगर्भ जल ही है। अतः यह आवश्यक है कि इन पेयजल आपूर्ति से संबंधित ग्रामों में भूगर्भ जल अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत वर्षा के जल से संबंधित ग्राम में स्थित समस्त तालाबों का जीर्णोदार, पुराने कुंओं में रिचार्जिंग बोर की व्यवस्था, विन्ध्य एवं पठारी क्षेत्रों में चेकडैम, डगवेल (कुँआ) का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए ग्राम पंचायत में स्थित शतप्रतिशत परम्परागत जल स्रोतों को वर्षा जल के संचयन हेतु सक्रिय किया जाये जिससे ग्राम पंचायत के भूगर्भ जल स्तर में बढ़ोत्तरी हो। इस हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत निम्न कार्य अनुमन्यता की श्रेणी में सम्मिलित है-

1. चेक डैम/नाला बन्द- चेक डैम और नाला बन्द डैम, ड्रेन एवं स्ट्रीम के ऊपरी भाग में बनाये जाये। इसके द्वारा पानी के बहाव की गति को धीमा किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वाटर रिचार्ज की संभावना बढ़ जायेगी।

2. रिचार्ज पिट- रिचार्ज पिट कम गहराई के एक्वीफर के रिचार्ज हेतु उपयोगी हैं। जल संसाधन प्रबंधन के प्रोग्राम में पिट भी एक प्रकार का वाटर टारगेटिंग स्ट्रक्चर है। रिचार्ज पिट 1.5 मी0 से 3 मी0 तक चौड़ी और 2 मी0 से 3 मी0 तक गहरी होती है। खुदी हुई पिट में चारो तरफ ईट या पत्थर की जालीदार दीवार बनाई जाती हैं पिट को ग्रेवेल फिर बालू द्वारा भरा जाता हैं। रिचार्जिंग पिट कम गहराई के एक्वीफर के रिचार्ज हेतु उपयोगी है। रिचार्ज पिट उन गांवों में बनाया जा सकता है जो अच्छा एवं उत्तम (गुड एवं एक्सीलेंट) भूजल संभावनाओं वाले जोन में आते हैं ।

3. डग वेल (कुँआ)- विकासखण्ड के जो गांव माडरेट (मध्यम) प्राकृतिक रिचार्ज के अंतर्गत आते हैं। वहां डग वेल द्वारा भूजल का पुनःभरण किया जा सकता हैं। एलुवियम क्षेत्रों में आबादी द्वारा पानी पीने या सिंचाई के कारण कुएं या तो सूख जाते है, या फिर भू-जल स्तर लगातार नीचे गिरता जाता है। कुंआ वर्षा जल से सीधे या आबादी से

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ड्रेन पाइप जो कि कुएं की तरफ डाइवर्ट हो (फिल्टर), के द्वारा रिचार्ज किया जा सकता है। यदि डगवेल का उपयोग रिचार्ज के लिए किया जा रहा है, तो वेल के चारों तरफ की लाइनें नियमित अंतराल पर चारों ओर खुली होनी चाहिए। जिससे जल का रिसाव साइड से होता रहे। डग वेल को मच्छर दानी से ढकना चाहिए जिससे कि पत्ती या मलबा, कचरा नीचे न जा सके। रिचार्ज वेल के तल को प्रतिवर्ष डिसिल्ट करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप कुंओं की पानी सोखने की क्षमता बनी रहे।

3- पाइप पेयजल से संबंधित ग्राम पंचायतों में उपर्युक्तानुसार मनरेगा के हस्तक्षेप से भूगर्भ जल के रिचार्ज हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार कराते हुए मनरेगा, राज्य वित्त एवं चौदहवें वित्त के माध्य कन्वर्जेन्स के तहत कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये, ताकि पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं हेतु निरन्तर जल प्राप्त हो सकें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या- 24/2019/ 2483(1)/अड़तीस-7-2019 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं भूगर्भजल विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4- अपर आयुक्त,मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5- अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
8- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।